



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 54/13

निर्णय दिनांक:—09.07.2018

1. किशनाराम पुत्र फकीराराम जाति सांसी निवासी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 08-06-1983
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:—

1. श्री नायब सिंह, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 08-06-1983 जिसके द्वारा अपीलांट का भूमिहीन आवंटन का प्रार्थना पत्र अन्य तहसील का निवासी होने के कारण खारिज किया गया है के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील खाजूवाला में बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु आवंटन कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा

आवंटन मात्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट अन्य तहसील का निवासी होने के कारण वरियता में नहीं है। अदालत मातहत द्वारा इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

इसप्रकार अदालत मातहत बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य किसी व्यक्ति का कोई प्रार्थना पत्र नहीं था केवल मात्र अपीलांट का ही प्रार्थना पत्र था ऐसी स्थिति में वरियता बनने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अदालत मातहत ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने से पूर्व इस तथ्य को नहीं देखा कि यदि अपीलांट की वरियता नहीं बनती है तो अन्य किस आवेदक की वरियता बनती है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित किये जाने से पूर्व उससे संबंधित पक्षकार को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसा आदेश विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। जबकि तामील के प्रावधानों आज्ञापक है ऐसे आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो स्पष्ट रूप से विधि के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है।

अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-06-1984 के विरुद्ध अपील दिनांक 11-02-13 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट अन्य तहसील का निवासी होने के कारण वरियता में नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-06-1983 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 11-02-2013 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने उपनिवेशन तहसील खाजुवला में बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट अन्य तहसील का निवासी होने के कारण वरियता में नहीं पाया जाता है।

(3) इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि तहसील रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी उपनिवेशन तहसील खाजुवाला का वासिन्दा नहीं पाया जाता है। जबकि प्रार्थना पत्र केवल उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के निवासियों हेतु ही आमंत्रित किये गये थे। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्रार्थी को अन्य तहसील का निवासी होने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(4) प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट प्रेषित करते हुए स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी किसनाराम खाजुवाला का मूल निवासी नहीं है ना ही किसनाराम व उसके पिता के नाम सर्किल हाजा में कोई भूमि ही है। ऐसी स्थिति में जब यह साबित हो चुका है कि प्रार्थी खाजुवाला का मूल निवासी नहीं है व प्रार्थना पत्र केवल मात्र खाजुवाला के मूल निवासियों हेतु ही आमंत्रित किये गये थे। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट अन्य तहसील का निवासी होने के कारण वरियता में नहीं मानते हुए अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो आवंटन नियमों के अनुसार एवं विधि सम्मत है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट अब इस अपील के स्तर पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 08-06-1983 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

